



## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1042/03<sup>(1)</sup>

दिनांक : 13.04.2023

### -: कार्यालय आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक F17(22)UDH/Rules/2020/Jaipur Dated : 18.01.2023 की अनुपालना में मण्डल में संस्थानिक सम्पत्तियों की लीज राशि, मण्डल की आवासीय आरक्षित दर (मध्यम आयवर्ग-“अ”) की 2.5 प्रतिशत अथवा आवंटन दर की 2.5 प्रतिशत (जो भी कम हो) के आधार पर गणना की जावेगी। आवासीय एवं वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर लीज की गणना पूर्वानुसार ही की जावेगी।

उपरोक्त लीज राशि की गणना इस आदेश के जारी होने के पश्चात् जारी आवंटन पत्रों पर लागू होंगे।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु.अभियन्ता, ..... रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 4- उप आवासन आयुक्त, वृत्त- ....., रा.आ.म., .....
- 5- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 6- लेखाधिकारी, मुख्य राजरव प्रकोष्ठ (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड- ....., रा.आ.म., .....
- 8- सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वृत्त- ....., रा.आ.म., .....
- 9- सम्बन्धित पत्रावली।
- 10- रक्षित पत्रावली।

उप वित्तीय सलाहकार